(3)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

P.N.
35/20.11.18

आदेश

विविध वाद संख्या– 18/2018–19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

मंगल यादव वगैरह ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

अकल यादव वगैरह .....द्वितीय पक्ष

04.10.2018 यह प्रक्रिया आवेदक 1. मंगल यादव 2. रामरक्ष्या यादव 3. अिवलाख यादव तीनो के पिता– स्व0 रामप्रसाद यादव, ग्राम– बाघामाड़ा, पो0– नौडीहा खजुरी, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू ने 1. अकल यादव 2. बुधाई यादव 3. राजेन्द्र यादव तीनो के पिता– चनारीक यादव, ग्राम– बाघामाड़ा, पो0– नौडीहा खजुरी, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0 प्र0 सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया था, जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक 712 दिनांक 17.07.2018 के द्वारा थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने डी0 आर0 नं0– 727/18 दिनांक 29.07.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति– व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा की गई है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:– मौजा– बाघामाड़ा, खाता सं0– 19, प्लॉट

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	

सं0– 229, कुल रकबा– 2.63 एकड़, हिस्से का रकबा– 1.31 1/2 एकड़ चौहद्दी उत्तर– टांड़ एवं रामचंद्र सिंह वगैरह, दक्षिण– मकान एवं पक्की सड़क, पूरब– लल्लु सिंह वगैरह, पश्चिम– बालकेश यादव वगैरह, के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0 प्र0 सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा कि मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि प्रश्नगत भूमि खाता सं0– 19, प्लॉट सं0– 229 के अतिरिक्त अन्य प्लॉट की भूमि प्रथम पक्ष ने सोहराई यादव पिता– स्व0 भगिरत यादव ग्राम– बाघामाड़ा, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू के निवासी से दान पत्र सं0– 375 के माध्यम से दिनांक 08.02.1985 को कुल– 2.45 एकड़ भूमि प्राप्त किया है। उक्त खाता, प्लॉट के साथ– साथ खाता सं0– 28 से प्रथम पक्ष 24 डी0 भूमि सोहराई यादव इसी दान पत्र के माध्यम से प्राप्त किया है। ज्ञातब्य हो कि उक्त खाता, प्लॉट कि भूमि दानदाता सोहराई यादव की रैयतरी एवं मोरूसी भूमि है। प्रश्नगत भूमि का सर्वे रैयत भगिरत यादव वो नान्हु यादव पेसरान जानकी अहीर के नाम से दर्ज है। भगिरत यादव एवं नान्हू यादव अपने जीवनकाल

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

में खाता सं0— 19 एवं 28 का कुल रकबा— 12.87 एकड़ को 1/2 भाग बटवारा कर शांतिपूर्वक दखल— कब्जे में रहे। खाता सं0— 19 एवं 28 भगिरत यादव को 6.46 1/2 एकड़ भूमि आपसी बटवारा से प्राप्त हुआ। भगिरत यादव के दो पुत्र नथुनी यादव एवं सोहराई यादव हुए। नथुनी यादव एवं सोहराई यादव अपने पिता के मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखल— कब्जे में रहे। सोहराई यादव नावल्द थे, वे अपने खाता सं0— 19 एवं 28 के हिस्से कि भूमि से 2.69 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष को दान पत्र सं0— 375 दिनांक 08.02.1985 से भूमि को देते हुए दखल — कब्जा दिये। प्रथम पक्ष का उक्त दान पत्र के आधार पर अंचल कार्यालय से नामांतरण होकर सरकारी लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि यह वाद द्वितीय पक्ष के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को परेशान करने के नियत से यह वाद संधारित कराये हैं। द्वितीय पक्ष कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, इसके विपरीत प्रथम पक्ष ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर द्वितीय पक्ष को परेशान करने के नियत से यह वाद प्रारम्भ कराये हैं। खाता सं0— 19, प्लॉट सं0— 229 कुल रकबा— 2.63 एकड़ हिस्सा का रकबा— 1.31 एकड़ जो नोटिस में

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	

वर्णित है उसका चौहद्दी पूर्णतः गलत है। प्लॉट सं0– 229 में द्वितीय पक्ष अपने विक्रय पत्र के चौहद्दी के अनुसार दाखिल– काबिज हैं। नथुनी यादव के दो पुत्र चनारिक यादव एवं केश्वर यादव थे। केश्वर यादव अपने तीन लड़के 1. अकलु यादव 2. भदई यादव 3. राजेन्द्र यादव को छोड़कर मर गये जो द्वितीय पक्ष के सदस्यगन चनारिक यादव के पुत्र हैं। केश्वर यादव अपने पुत्र बीरबल यादव एवं अपने पत्नि मंगरी कुंवर को छोड़ कर मर गये। उनके मरने के बाद उनके पुत्र एवं पत्नि का हक दखल– कब्जा स्थापित हुआ। बीरबल यादव ने निबंधित विक्रय पत्र सं0– 2232/2200 दिनांक 24.03.2014 के द्वारा खाता सं0– 19, प्लॉट सं0– 229, रकबा– 11.25 डी0 भूमि एवं0 निबंधित विक्रय पत्र सं0–2712/2670 दिनांक 08.05.2014 के द्वारा खाता सं0– 19, प्लॉट सं0– 229 में 0.07 1/2 एकड़ भूमि बुधाई यादव एवं राजेन्द्र यादव के पक्ष में विकि कर दिये। उसी प्राकार मंगरी कुंवर ने 0.7 1/2 एकड़ भूमि खाता सं0– 19, प्लॉट सं0– 229 निबंधित विक्रय पत्र सं0– 8269/8121 दिनांक 24.09.2014 को द्वितीय पक्ष के कमांक सं0– 2 एवं 3 के पक्ष में विकि कर दिये। उसी के अनुसार द्वितीय पक्ष का जमाबंदी संधारण हो कर सरकारी लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है। द्वितीय पक्ष विक्रय पत्र में दर्ज रकबा एवं चौहद्दी के

देश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अनुसार दाखिल– काबिज हैं। प्रथम पक्ष इस वाद की भूमि पर हिस्सा का दावा करते हैं जो धारा–144 दं0 प्र0सं0 में संभव नहीं है। हिस्सा का विभाजन एवं निराकरण व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत आता है।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में केवाला की छायाप्रति एवं लगान रसीद(वर्ष 1997–98) की छायाप्रति समर्पित किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वरा अपने दावे के समर्थन में केवाला सं0– 8269/8121, 2232/2200 एवं 2712/2670 तथा लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोन से ज्ञात होता है कि यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निराकरन करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यदि प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं, साथ ही इस वाद कि कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

4.10.K

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 13:31:00 +05:30
Location: 192.168.1.13